उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 36/2016/559/छप्पन-2016-93/2015 टी0सी0-1
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2016

वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन विभाग के अनुदान संख्या-38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में इंगित लेखाशीर्षकों के सापेक्ष तथा उसके नीचे दिये गये कारणों से प्राविधानित धनराशि की व्यय की आवश्यकता न होने के कारण कुल रूपये 44,69,25,000/- (रूपये चवालिस करोड़ उनहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग को पुर्नग्रहण हेतु समर्पित की जाती है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	समर्पित की जाने वाली धनराशि
5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य-800- अन्य व्यय-03-वायुयान/हेलीकॉप्टर का क्रय-26-मशीनें साज-सज्जा उपकरण संयन्त्र	432741
5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य-800- अन्य व्यय-04-वायुयान/हेलीकॉप्टर के विशेष मरम्मत-42- अन्य व्यय	14182
5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य-800- अन्य व्यय-05-नागरिक उड्डयन निदेशालय-25-लघु निर्माण कार्य	2
योग :	446925
(रूपये चवालिस करोड़ उनहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)	

बचत के कारण:

03-वायुयान/हेलीकॉप्टर का क्रय-26-मशीनें साज-सज्जा उपकरण संयन्त्र :

इस मद में रूपये 1000000 हजार की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2016 तक रूपये 567259 हजार की धनराशि व्यय हुई तथा रूपये 432741 हजार की बचत हुई।

04-वायुयान/हेलीकॉप्टर के विशेष मरम्मत-42- अन्य व्यय :

आवश्यकतानुसार रिपेयर/मरम्मत कराये जाने के कारण बचत हुई है।

05-नागरिक उड्डयन निदेशालय-25-लघु निर्माण कार्य :

वास्तविक व्यय किये जाने के कारण बचत हुई है।

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: ई-7-339(4)/दस-2016-तद्दिनांक 31 मार्च, 2016

प्रतिलिपि महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त रूपये 44,69,25,000/-(रूपये चवालीस करोड़ उनहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग द्वारा पुनग्र्रहीत कर ली गई है।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव।

संख्या: 36/2016/559(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।